

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
जम्हो फिनवेस्ट लि. बनाम रामावतार शर्मा व अन्य
प्रकरण संख्या 219/2020 (धारा 14 सिविल रिट/आईजेसन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
31.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुए Not Press किया है। इसलिए प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत सरफेशी एक्ट की धारा 14 का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p>31-8-2022</p>